



क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-4290

दिनांक 8/10/2022

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं,
जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भू.सं.	भू.क्ष.	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री पुरुषोत्तम श्रीमाल एवं श्री निर्मल पुत्रान श्री प्रहलाद श्रीमाल	श्री प्रहलाद नारायण श्रीमाल	23	150 व.ग.	लुनियावास	सी.जी.एम नगर	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में आवेदकों का नाम अंकित नहीं होने एवं मृत्यु उपरान्त रजि. हकत्याग होने से।
2	श्री प्रभूदयाल मेहरा पुत्र स्व० श्री हीरालाल मेहरा	स्वयं	39	150 व.ग.	मित्र	भौमिया	फ्री होल्ड	मृत्यु उपरान्त रजि. हकत्याग एवं सोसायटी द्वारा जारी रसीद खो जाने पर होने से।

उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-4310

दिनांक: 10/10/2022

आम सूचना

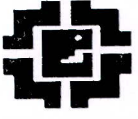
निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री राम खिलाड़ी	श्री हंसराज विजय पुत्र श्री नाथूलाल विजय	194	40.50 व0मी0	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु	पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 17.01.22 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत जोन-09 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री शिवा मीणा पुत्र श्री रामकृपाल मीणा	श्री हरिकिशन मीणा पुत्र श्री भूरालाल मीणा	08	777.77 व.ग.	शिव शंकर गृ.नि.स.स.	स्वरूप विहार	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड लीजडीड	नोटरी से प्रमाणित वसीयतनामा के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-09 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन-09
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा / जोन-09 / 2022 / डी- 5750

दिनांक 10/10/2021

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दूरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ख /2022/डी- 2659(2659)

दिनांक 10/10/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार माधव लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. के.ई. 09, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर जरिये निदेशक श्री प्रदीप बाहेती द्वारा ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के ख.नं. 1730 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 1731 रकबा 0.31 हैक्ट. ख.नं. 1732 रकबा 0.75 हैक्ट. ख.नं. 1733 रकबा 0.33 हैक्ट. ख.नं. 1734 रकबा 0.23 हैक्ट. ख.नं. 1735 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1742 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 1743 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 1744 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1745 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 2237/2658 रकबा 1.20 हैक्ट. ख.नं. 1744/2611 रकबा 0.04 हैक्ट. कुल किता 12 कुल रकबा 3.98 हैक्ट. में रिसोर्ट हेतु जारी 90ख को पुनः अकृषि से कृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 1731 रकबा 0.31 हैक्ट. ख.नं. 1732 रकबा 0.75 हैक्ट. ख.नं. 1733 रकबा 0.33 हैक्ट. ख.नं. 1734 रकबा 0.23 हैक्ट. ख.नं. 1735 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1742 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 1743 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 1744 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1745 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 2237/2658 रकबा 1.20 हैक्ट. ख.नं. 1744/2611 रकबा 0.04 हैक्ट. कुल किता 12 कुल रकबा 3.98 हैक्ट. भूमि का रिसोर्ट प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ख के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 18.6.2010 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90ख की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी. सी(एल.पी.) की 297वी बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 1731 रकबा 0.31 हैक्ट. ख.नं. 1732 रकबा 0.75 हैक्ट. ख.नं. 1733 रकबा 0.33 हैक्ट. ख.नं. 1734 रकबा 0.23 हैक्ट. ख.नं. 1735 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 1742 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 1743 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 1744 रकबा 0.11 हैक्ट. ख.नं. 1745 रकबा 0.17 हैक्ट. ख.नं. 2237/2658 रकबा 1.20 हैक्ट. ख.नं. 1744/2611 रकबा 0.04 हैक्ट. कुल किता 12 कुल रकबा 3.98 हैक्ट. भूमि को रिसोर्ट प्रयोजनार्थ जारी निर्णय को निरस्त कर पुनः अकृषि से कृषि भूमि किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 10/10/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 2 माधव लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. के.ई. 09, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर जरिये निदेशक श्री प्रदीप बाहेती को सूचनार्थ प्रेषित है।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-2765

दिनांक: 10/10/22

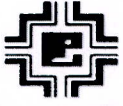
जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री हुकमचन्द बैरवा	मुश्ताक	272	44.17 वर्ग गज	जविप्रा	झालाना स्केलटन फेज-1	नामहस्तान्तरण पत्र	नामहस्तान्तरण पत्र, अपंजिकृत इकरारनामा राज. विक्रय पत्र

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-2786

दिनांक:- 10/10/22

जनसंपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री आदित्य सहगल पुत्र श्री रोहित सहगल	श्री प्रकाश आहुजा	सी-383	305.73 वर्गगज	जविप्रा	मालवीय नगर	फ्री-होल्ड	रजिस्टर्ड बिल/ वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र।


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 2753

दिनांक 6/10/2022

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **सिन्धु नगर को-ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.** की योजना- **ऋषि कॉलोनी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
रामपुरारूपा, जयपुर	334	0.4932	1. हाफिज अब्दुल खाँ एण्ड ब्रदर्स, हिस्सा-पूर्ण, जयपुर जिसकी पत्नी रजिमुहमान वल्द हाजी अब्दुल करीम रहमान वल्द हाफिज अब्दुल खाँ अब्दुल जीमल वल्द अब्दुल हकीम सा. जयपुर तोपखाना देश मौहल्ला मुतस्यिल तकिया खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में **कमरा नं. पी बी-एसएफ-206, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 6/10/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

S. d
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-01 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अधोहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावे।
- तहसीलदार, जयपुर, जिला जयपुर।

X
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-01 जविप्रा, जयपुर



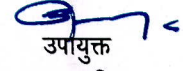
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अजय पारीक पुत्र श्री सोहन लाल पारीक	सोहन लाल पारीक पुत्र श्री भारमलजी पारीक	73	200	भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	किरण विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्रों
2.	श्री महेश चन्द पुत्र श्री छोटू	खातेदार	120 एच (खसरा नंबर 40 का भाग)	101.09	विजय गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	ग्रीन एवेन्यू	लीजडीड	विक्रय पत्र, हक त्याग


उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-2183 दिनांक30/05/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

E:\arvind\VICYAPTI\JOINT 2022.docx



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे /अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री लालचंद सैनी पुत्र श्री मूलचंद सैनी	भौरी बाई पत्नी स्व. श्री कन्हैया लाल सैनी	डी-19	468.50	नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	तिरूपति विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा
2.	श्री गोपाल लाल सैनी पुत्र श्री मूलचंद सैनी	श्री गुलाब देवी पत्नी स्व. श्री घनश्याम सैनी	डी-20	424.44	नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	तिरूपति विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा

उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर

जन संपर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

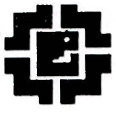
यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 2193 दिनांक 06/10/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

E:\arvind\VICYAPTI\JOINT 2022.docx



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Jyoti Ka
Asha Mahotsav

क्रमांक:- जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)/2022/डी- 4051 दिनांक:- 7-10-2022

-:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सियाराम जांगिड	बबली देवी	बी-11	210.05	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	क्षीर सागर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा।
2	उषारानी शर्मा	रामकली	06	195.00	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	विष्णु विहार	लीजडीड	पंजीकृत वसीयतनामा।
3	विमला जैन	सत्यनारायण जैन	18	230.61	हसनपुरा-ए गृ. नि.स.स.लि.	सनराईज कॉलोनी	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

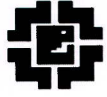
उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-3190

दिनांक 11/10/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति नाम/ निजी खातेदारी/ जविप्रा	का योजना का नाम	विवरण
1.	ए-186	श्रीमती सीमा वर्मा पत्नी श्री सतीश वर्मा	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु
2.	बी-356	श्री गिरधारी लाल शर्मा पुत्र श्री खेमराम	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु
3.	ए-277	श्री भरत सिंह शेखावत पुत्र श्री शिवप्यार सिंह शेखावत	जविप्रा	रोहिणी नगर-II	नामहस्तान्तरण हेतु
4.	129	श्री चिरंजीलाल सैनी पुत्र श्री लल्लूराम सैनी	विकास भवन गृ.नि. स.स.लि.	आर.के.पुरम	लीजडीड हेतु
5.	ए-168	श्री नीमराज पुत्र हरिचन्द बैरवा, जया बैरवा, रितु बैरवा, यंशवत बैरवा जरिये संरक्षक पिता श्री नीमराज	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/ लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त (जोन-14)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (जोन-14)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 5149

दिनांक:- 26/8/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	95ए	246.66 वर्ग गज	पवन विहार (शिव शंकर हाउसिंग को-ओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड)	श्री हवा सिंह मीणा पुत्र श्री राम सिंह मीणा	श्रीमती कुसुमलता गोविला पत्नी श्री चन्द्र मोहन गोविला	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-9
जयपुर

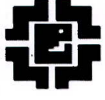
प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर
उपायुक्त जोन-9
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-3200

दिनांक 10.10.22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	35	श्री अशोक कुमार जैन	निजी खातेदारी	खुशी संसार-चतुर्थ	नामहस्तान्तरण हेतु
2.	10 (सैक्टर कॉमर्शियल)	श्री विनीत गंगवाल एच. यू.एफ. कर्ता श्री विनीत गंगवाल	निजी खातेदारी	हनुमान वाटिका ए-5	लीजडीड हेतु
3.	बी-206	श्रीमती कमला सोनी पत्नी श्री धर्मेन्द्र सोनी	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in